चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/1546
दिनांक : 19/7/2010

सचिव,
यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी,
यूनिक सिटी, एन0एच0–58,
मुरादनगर, गाजियाबाद

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–1640 / सत्तर–2–2009–2(158) / 2008, दिनांक 30.07.2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, यूनिक सिटी, एन0एच0–58, मुरादनगर, गाजियाबाद** को **बी0एड0** पाठ्यक्रम में **100 अतिरिक्त सीटों** की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन **सत्र 2008–09** से **सम्बद्धता** की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एंव इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एंव मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
3. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानको को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार **यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, यूनिक सिटी, एन0एच0–58, मुरादनगर, गाजियाबाद** को **बी0एड0 पाठ्यक्रम** में **100 अतिरिक्त सीटों** की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तो के अधीन **सत्र 2008–09** से **सम्बद्धता** की पूर्वानुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 अतिरिक्त सीटों हेतु छात्रों के प्रवेश सत्र 2010–2011 से किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमैटी सैल / बी0एड0 सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. समन्वयक बी0एड0 प्रवेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान / पाठ्यक्रम का नाम वैबसाईट पर डालने का कष्ट करें।
7. कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त संस्थान की 100 अतिरिक्त सीटों को भी काउन्सलिंग में सम्मिलित करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/2573
दिनांक : 9/12/09

सेवा में,

सचिव,
यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी,
मुरादनगर, एन0एच0-58, मोदीनगर, गाजियाबाद

विषय :- यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, मुरादनगर, एन0एच0-58, मोदीनगर, गाजियाबाद को बी0एड0 पाठ्यक्रम में सत्र 2008-2009 से निरस्त की गयी सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक दिनांक 15.11.2009 को सम्पन्न हुई सुनवाई के उपरान्त कुलपति जी के आदेश दिनांक 07.12.2009 द्वारा यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, मुरादनगर, एन0एच0-58, मोदीनगर, गाजियाबाद को सत्र 2008-2009 से निरस्त की गयी सम्बद्धता को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ पुर्नजीवित किया जाता है। यहाँ यह भी सूचित किया जाता है कि अतिरिक्त 100 सीटों की सम्बद्धता के विषय में विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

भवदीय

9-12-09

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

01. सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
02. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर।
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
04. सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।
05. आशुलिपिक, कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
06. समन्वयक, बी0एड0 प्रवेश परीक्षा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
07. सहा0 कुलसचिव (गोपनीय/परीक्षा/लेखा), चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
08. प्रभारी, (कमेटी सैल/स्टोर/विधि प्रकोष्ठ) चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

कुलसचिव